

कार्यकारी सार

उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) के वित्त पर यह प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य के वित्तीय प्रदर्शन का आकलन करने एवं वित्तीय आकड़ों के लेखापरीक्षा विश्लेषण पर आधारित आगतों को राज्य विधानमण्डल को प्रस्तुत करने का प्रयोजन रखता है। इस विश्लेषण को उचित परिप्रेक्ष्य में रखने हेतु, समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (यूपीएफआरबीएम) अधिनियम, 2004, चौदहवें एवं पन्द्रहवें वित्त आयोग के प्रतिवेदनों एवं 2020-21 के बजट अनुमानों में परिकल्पित लक्ष्यों के मध्य एक वृहद तुलनात्मक अध्ययन का प्रयास किया गया है। इस प्रतिवेदन को छः अध्यायों में विभाजित किया गया है:

अध्याय I प्रदेश सरकार के वित्त का एक नजर में विहंगावलोकन है।

अध्याय II वित्त लेखे की लेखापरीक्षा पर आधारित है एवं 31 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करता है। यह ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी, पेंशन एवं ऋण प्रबंधन पर व्यय की प्रवृत्ति पर सूक्ष्म दृष्टि डालता है।

अध्याय III विनियोग लेखे की लेखापरीक्षा पर आधारित है एवं इसमें अनुदानवार विनियोगों तथा सेवादायी विभागों द्वारा जिस प्रकार आवंटित संसाधनों का प्रबंधन किया गया है, उसका विवरण प्रस्तुत करता है।

अध्याय IV उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न रिपोर्टिंग आवश्यकताओं एवं वित्तीय नियमों के अनुपालन की वस्तु सूची है।

अध्याय V एवं VI राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के वित्तीय प्रदर्शन, पीएसयू में निवेश, पीएसयू को बजटीय सहायता, नियोजित पूँजी पर प्रतिफल, राज्य के पीएसयू द्वारा लेखाओं को प्रस्तुत करने की स्थिति, सीएजी द्वारा पीएसयू के वार्षिक लेखाओं की पूरक/एकल लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप निर्गत की गयी टिप्पणियाँ इत्यादि को प्रस्तुत करते हैं।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

राज्य की राजकोषीय स्थिति

कोविड-19 महामारी ने राज्य एवं देश के संसाधनों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। उत्तर प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में वर्ष 2019-20 में 6.50 प्रतिशत वृद्धि के सापेक्ष वर्ष 2020-21 में 1.05 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसका राज्य के स्वयं के कर राजस्व एवं केन्द्रीय कर हस्तांतरण पर नकारात्मक प्रभाव के साथ ही राज्य के राजकोषीय मानकों पर भी सहवर्ती प्रभाव पड़ा। राज्य में वर्ष 2006-07 से 14 वर्षों के सतत राजस्व अधिशेष के बाद वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 2,367.13 करोड़ का राजस्व घाटा था।

अतिरिक्त स्रोत बढ़ाने हेतु, भारत सरकार (जीओआई) ने वर्ष 2020-21 हेतु राज्य सरकार को जीएसडीपी की दो प्रतिशत की अतिरिक्त ऋण सीमा को अनुमन्य किया। तदनुसार, यूपीएफआरबीएम अधिनियम, 2004 में वर्ष 2020-21 हेतु राजकोषीय घाटे की सीमा जीएसडीपी के तीन प्रतिशत से बढ़ाकर जीएसडीपी के पांच प्रतिशत करने हेतु संशोधन (अगस्त 2020) किया गया। वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य का राजकोषीय घाटा (₹ 54,622.11 करोड़) जीएसडीपी का 3.20 प्रतिशत था। तथापि, वर्ष 2020-21 के दौरान कुल बकाया ऋण का जीएसडीपी से अनुपात (32.77 प्रतिशत) यूपीएफआरबीएम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2020 में निर्दिष्ट लक्ष्य (32.00 प्रतिशत) से ऊपर था।

वस्तु एवं सेवाकर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) क्षतिपूर्ति राज्य सरकार का राजस्व है। वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 9,324 करोड़ की जीएसटी क्षतिपूर्ति राजस्व प्राप्तियों के रूप में प्राप्त करने के अतिरिक्त, राज्य सरकार को भारत सरकार से जीएसटी क्षतिपूर्ति कोष में अपर्याप्त अवशेष के कारण जीएसटी क्षतिपूर्ति कमी के बदले ₹ 6,007 करोड़ की ऋण प्राप्तियां (बैंक-टू-बैंक लोन) प्राप्त हुई। इस ऋण का ऋणशोधन जीएसटी क्षतिपूर्ति कोष में उपकर के संग्रह से किया जायेगा एवं इस प्रकार, अदायगी के दायित्व को राज्य के अन्य संसाधनों से पूरा नहीं किया जाएगा। इस व्यवस्था के कारण, वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 2,367.13 करोड़ के राजस्व घाटे एवं ₹ 54,622.11 करोड़ के राजकोषीय घाटे को जीएसटी क्षतिपूर्ति के बदले ₹ 6,007.00 करोड़ की ऋण प्राप्ति के संयोजन के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

(प्रस्तर 1.1.1, 1.4.1 एवं 1.5)

निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग

वर्ष 2020-21 के दौरान, ₹ 2,96,176 करोड़ की राजस्व प्राप्तियों में स्वयं का कर राजस्व (₹ 1,19,897 करोड़), गैर-कर राजस्व (₹ 11,846 करोड़), संघीय करों और शुल्कों में अंश (₹ 1,06,687 करोड़) एवं भारत सरकार से सहायता अनुदान (₹ 57,746 करोड़) सम्मिलित थे।

वित्तीय वर्ष 2020-21 की शुरुआत कोविड-19 महामारी और सख्त लॉकडाउन प्रतिबंधों के साथ हुई, जिसने वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य की राजस्व प्राप्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। बजट अनुमान 2020-21 की तुलना में, वास्तविक प्राप्तियों में स्वयं के कर राजस्व में 27.78 प्रतिशत, गैर-कर राजस्व में 62.01 प्रतिशत, केंद्रीय कर हस्तांतरण में 30.21 प्रतिशत और भारत सरकार से सहायता अनुदान में 20.35 प्रतिशत की कमी थी।

पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2020-21 के दौरान स्वयं के कर राजस्व में 2.38 प्रतिशत की समग्र कमी मुख्य रूप से राज्य वस्तु और सेवा कर, विद्युत पर कर और शुल्क, वाहनों पर कर और भू-राजस्व में कमी के कारण हुई थी।

वर्ष 2020-21 के दौरान भारत सरकार से अंतरण (करों में अंश तथा सहायता अनुदान) वर्ष 2019-20 की तुलना में 1.59 प्रतिशत (₹ 2,571 करोड़) अधिक था तथा यह राज्य की राजस्व प्राप्तियों का 55.52 प्रतिशत था। केन्द्रीय करों और शुल्कों में राज्य का अंश वर्ष 2019-20 की तुलना में ₹ 11,131 करोड़ (9.45 प्रतिशत) कम हो गया। तथापि, वर्ष 2020-21 में भारत सरकार से सहायता अनुदान में विगत वर्ष की तुलना में 31.11 प्रतिशत (₹ 13,702 करोड़) की वृद्धि हुई।

(प्रस्तर 2.3.1, 2.4.1, 2.4.2.1, 2.4.3, 2.4.3.1 एवं 2.4.3.2)

राजस्व व्यय (₹ 2,98,543 करोड़) कुल व्यय का मुख्य घटक बना रहा और इसका हिस्सा 2016-17 के 75.56 से बढ़कर 2020-21 में 84.83 प्रतिशत हो गया। वेतन और मजदूरी, पेंशन एवं ब्याज भुगतान पर प्रतिबद्ध व्यय (₹ 1,83,223 करोड़) राजस्व प्राप्तियों का 61.87 प्रतिशत और राजस्व व्यय का 61.37 प्रतिशत था। वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों तथा अन्य अनुदान ग्राही संस्थाओं को सहायता अनुदान के रूप में ₹ 98,888.38 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की गयी थी, जो वर्ष 2019-20 की तुलना में 5.95 प्रतिशत अधिक थी।

(प्रस्तर 2.7.1, 2.7.2, 2.7.4 एवं 2.7.4.5)

वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 के दौरान पूंजीगत व्यय (₹ 52,237 करोड़) में 12.94 प्रतिशत की कमी आयी। वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 के दौरान सामान्य सेवा क्षेत्र और आर्थिक सेवा क्षेत्र में पूंजीगत व्यय में क्रमशः 38.96 प्रतिशत तथा 18.43 प्रतिशत की गिरावट आयी, यद्यपि सामाजिक सेवा क्षेत्र में 17.80 प्रतिशत

की वृद्धि हुयी। कुल व्यय के सापेक्ष राज्य के पूँजीगत व्यय में वर्ष 2016–17 की तुलना में वर्ष 2020–21 में कमी हुई लेकिन यह वर्ष 2020–21 के दौरान सामान्य श्रेणी के राज्यों (उत्तर पूर्व तथा हिमालयीय राज्यों को छोड़कर) के अखिल भारतीय औसत से अधिक था।

(प्रस्तर 2.7.5 एवं 2.7.6)

समेकित निक्षेप निधि

राज्य सरकार ने अपनी बकाया देयताओं के विमोचन हेतु एक ऋण परिशोधन निधि के रूप में समेकित निक्षेप निधि का गठन (मार्च 2020) किया, जो वित्तीय वर्ष 2020–21 से प्रभाव में आयी। निधि को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रशासित किया गया है। निधि के दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य सरकार को विगत वर्ष के अंत में अवशेष दायित्वों का 0.50 प्रतिशत अंशदान निधि में जमा करना था। वर्ष 2019–20 के अन्त में अवशेष दायित्व ₹ 4,90,883.27 करोड़ के दृष्टिगत कम से कम ₹ 2,454.42 करोड़ के निर्धारित अंशदान के सापेक्ष राज्य सरकार ने वर्ष 2020–21 के दौरान ₹ 1,000.00 का अंशदान दिया। यह ₹ 1,454.42 करोड़ का कम अंशदान समेकित निक्षेप निधि निवेश का हिस्सा नहीं बन सका।

संस्तुति

राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि समेकित निक्षेप निधि में वार्षिक अंशदान विगत वर्ष के अन्त में बकाया देयताओं का कम से कम 0.50 प्रतिशत हो, जैसा कि समेकित निक्षेप निधि योजना में प्रावधानित है, जिससे कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अग्रतर निवेश हेतु एवं भविष्य की अवशेष देयताओं के भुगतान हेतु निधि में पर्याप्त अवशेष उपलब्ध हो।

(प्रस्तर 2.8.2.1)

मूल्यह्रास आरक्षित निधि

राज्य सरकार ने अनुपयोगी संयन्त्र एवं मशीनरी के नवीनीकरण तथा प्रतिस्थापन हेतु संयन्त्र एवं मशीनरी के क्रय, संयन्त्र एवं मशीनरी की विशेष मरम्मत तथा नवीनतम तकनीक से युक्त संयन्त्र एवं मशीनरी के क्रय हेतु उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग मूल्यह्रास आरक्षित निधि का गठन (मार्च 2005) किया। 2016–21 की अवधि के दौरान, राज्य सरकार ने ₹ 216.31 करोड़ मूल्यह्रास निधि में अंशदान के रूप में कार्यों पर भारित किया तथा इसे राज्य के गैर-कर राजस्व के रूप में हस्तान्तरित किया। तथापि, मूल्यह्रास निधि को कोई धनराशि हस्तान्तरित नहीं की गयी। इस प्रकार, सरकार ने कार्य की लागत में वृद्धि करके अपनी राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि किया। इसके अलावा, निधि में बिना कोई अंशदान किये भुगतान किये जाने के कारण वर्ष 2020–21 के अन्त में इसमें ₹ 17.20 करोड़ का ऋणात्मक अवशेष था।

संस्तुति

कार्यों पर मूल्यह्रास आरक्षित निधि के लिए भारित धनराशि को राजस्व प्राप्ति के रूप में रखने के बजाय, राज्य सरकार को इसे निधि को हस्तांतरित करना चाहिए क्योंकि निधि के लिए वर्तमान लेखांकन की व्यवस्था से राज्य की राजस्व प्राप्तियों तथा राजस्व व्यय अधिक प्रदर्शित हो रहे हैं। अग्रतर, राज्य सरकार को मूल्यह्रास आरक्षित निधि में ऋणात्मक अवशेष को तत्काल नियमित करना चाहिए।

(प्रस्तर 2.8.2.2)

राज्य आपदा अनुक्रिया निधि (एसडीआरएफ)

भारत सरकार के इस दिशानिर्देश कि एसडीआरएफ का परिचालन 'ब्याज सहित आरक्षित निधि' के अंतर्गत किया जाना चाहिए, के प्रतिकूल राज्य सरकार द्वारा

एसडीआरएफ का संचालन 'ब्याज रहित आरक्षित निधि' के अंतर्गत किया जा रहा है। अग्रेतर, निधि में अवशेष राशि का एसडीआरएफ दिशानिर्देशों के अंतर्गत निर्धारित तरीके से निवेश नहीं किया गया।

राज्य सरकार ने वर्ष 2020-21 के दौरान प्राप्त केन्द्रीय अंश के ₹ 966.50 करोड़ एसडीआरएफ को हस्तांतरित नहीं किया। राज्य सरकार ने एसडीआरएफ के अन्तर्गत गैर-निवेशित अवशेष धनराशि पर वर्ष 2020-21 के लिये ₹ 91.91 करोड़ का ब्याज जमा नहीं किया था। अग्रेतर, राज्य आपदा शमन निधि के लिए लेखांकन शीर्ष का परिचालन नहीं किया गया तथा पंद्रहवें वित्त आयोग एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की अनुसंशाओं के अनुरूप राज्य आपदा शमन निधि में अपेक्षित अंशदान का अंतरण नहीं किया गया।

संस्तुति

राज्य सरकार को एसडीआरएफ की अवशेष धनराशि को 'ब्याज सहित आरक्षित निधियाँ' श्रेणी के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 8121-सामान्य और अन्य आरक्षित निधियों में अन्तरित करना चाहिए और एसडीआरएफ दिशानिर्देशों के अनुसार उपार्जित ब्याज को निधि में जमा करना चाहिए। राज्य सरकार द्वारा एसडीआरएफ दिशानिर्देशों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निधि में अवशेष धनराशि का निवेश भी किया जाना वांछनीय है। राज्य सरकार को पंद्रहवें वित्त आयोग तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की अनुसंशाओं के अनुरूप राज्य आपदा शमन निधि का परिचालन भी करना चाहिए।

(प्रस्तर 2.8.2.3)

आकस्मिक देयतायें- प्रत्याभूतियों की स्थिति

राज्य सरकार द्वारा 25 संस्थाओं यथा सांविधिक निगम, सरकारी कम्पनियाँ एवं अन्य संस्थाओं को उनके द्वारा लिए गए ऋणों के पुनर्भुगतान के सापेक्ष वर्ष 2020-21 के अन्त में ₹ 1,50,554 करोड़ की प्रत्याभूति बकाया थी। प्रत्याभूतियों पर राज्य के दायित्वों के तात्कालिक भुगतान के उद्देश्य हेतु, राज्य सरकार को बारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार प्रत्याभूति विमोचन निधि का गठन करने की आवश्यकता थी। तथापि, राज्य सरकार ने प्रत्याभूति विमोचन निधि का गठन नहीं किया।

संस्तुति

राज्य सरकार को बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार प्रत्याभूति विमोचन निधि का गठन करना चाहिये।

(प्रस्तर 2.8.2.4 एवं 2.9.5)

व्यय आधिक्य के नियमितीकरण की आवश्यकता

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान दो अनुदानों एवं एक विनियोग के अंतर्गत राज्य विधानमंडल द्वारा दिये गये प्राधिकार से ₹ 8.10 करोड़ का अधिक संवितरण हुआ। वर्ष 2005-06 से 2019-20 से संबंधित 102 अनुदानों और 47 विनियोगों के अंतर्गत ₹ 32,525.36 करोड़ के अधिक संवितरण को राज्य विधानमंडल द्वारा अभी तक नियमित नहीं किया गया है। यह संविधान के अनुच्छेद 204 एवं 205 का उल्लंघन है जो यह प्रावधान करता है कि राज्य विधानमंडल की विधि द्वारा किये गये विनियोग के अलावा संचित निधि से किसी भी धन का आहरण नहीं किया जायेगा। यह बजटीय एवं वित्तीय नियंत्रण की प्रणाली को विकृत करता है एवं सार्वजनिक संसाधनों के प्रबन्धन में वित्तीय अनुशासनहीनता को प्रोत्साहित करता है।

संस्तुति

राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिक व्यय के सभी मौजूदा मामले संविधान के अनुच्छेद 205 में निहित प्रावधानों के अनुसार नियमितीकरण के लिए राज्य विधानमंडल के समक्ष रखे गए हैं।

(प्रस्तर 3.2.1 एवं 3.2.1.1)

व्यय का त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण

वर्ष 2020-21 के दौरान कई प्रकरणों में राजस्व को पूंजीगत एवं पूंजीगत को राजस्व के रूप में व्यय का गलत वर्गीकरण पाया गया। व्यय के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण का संयुक्त प्रभाव राजस्व घाटे में ₹ 85.38 करोड़ की कमी के रूप में परिणित हुआ।

संस्तुति

कतिपय मानक मदों में शामिल पूंजीगत या राजस्व प्रकृति के कुछ व्यय मदों का वर्गीकरण, जैसा कि प्रस्तर 3.2.2 में इंगित किया गया है, को उत्तर प्रदेश बजट नियमावली (यूपीबीएम) के साथ संरेखित करने के लिए समीक्षा और निवारण की आवश्यकता है।

(प्रस्तर 3.2.2, 3.2.2.1 एवं 3.2.2.2)

बचतें

वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 1,48,547.50 करोड़ की कुल बचत हुई जो कुल बजट प्रावधान ₹ 5,44,571.20 करोड़ की 27.28 प्रतिशत थी। पिछले पांच वर्षों (2016-21) के दौरान बजटीय प्रावधानों में लगातार वृद्धि हुई, लेकिन 2018-19 और 2020-21 के बीच बजट के उपभोग में कमी की प्रवृत्ति रही। 24 अनुदानों से सम्बन्धित 28 मामलों में, पिछले पांच वर्षों के दौरान सतत बचत (₹ 100 करोड़ एवं अधिक) की प्रवृत्ति रही। यह राज्य सरकार की आयोजना एवं कार्यान्वयन में बड़े अन्तर का द्योतक है।

संस्तुति

वित्त विभाग को उन कारणों की समीक्षा करनी चाहिए जिनके कारण विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के अन्तर्गत प्रावधान अप्रयुक्त रहे और भविष्य के वर्षों में अधिक विवेकपूर्ण बजट प्रावधान करने के लिए कदम उठाने चाहिए।

(प्रस्तर 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3 एवं 3.3.4)

अनावश्यक पुनर्विनियोग

20 अनुदानों से संबंधित 52 उप-शीर्षों में, ₹ 1,298.55 करोड़ के पुनर्विनियोग के माध्यम से निधियों में वृद्धि की गयी। तथापि, पुनर्विनियोग अनावश्यक साबित हुए, जैसा कि प्रत्येक मामले में व्यय इन उप-शीर्षों के अंतर्गत मूल बजट प्रावधान से कम था। यह इन अनुदानों के अन्तर्गत पुनर्विनियोग के लिए पर्याप्त औचित्य के अभाव को दर्शाता है।

संस्तुति

पुनर्विनियोग, निधि की आवश्यकताओं के सावधानीपूर्वक मूल्यांकन पर आधारित होना चाहिए। वित्त विभाग सम्बन्धित विभागों को निधियों के इष्टतम उपयोग के क्रम में संशोधित अनुमान प्रस्तुत करते समय योजनाओं/परियोजनाओं के लागत अनुमान की सटीकता में सुधार करने की सलाह दे सकता है।

(प्रस्तर 3.3.5)

व्यय का अतिरेक

वित्तीय वर्ष के अंतिम महीने में व्यय का अतिरेक सार्वजनिक निधियों के सुदृढ़ प्रबंधन के सिद्धांतों के विरुद्ध है। व्यय के अतिरेक को रोकने हेतु यूपीबीएम में कोई विशिष्ट निर्देश नहीं दिए गए हैं। 12 अनुदानों में, उनके कुल बजटीय प्रावधानों का 50 प्रतिशत या अधिक व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंतिम महीने अर्थात् मार्च 2021 में किया गया।

संस्तुति

सरकार व्यय की स्थिर गति बनाए रखने के लिए वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों विशेष रूप से मार्च के महीने में व्यय के अतिरेक को नियंत्रित करने के लिए दिशानिर्देश निर्गत करने पर विचार कर सकती है।

(प्रस्तर 3.3.6)

बचतों के अभ्यर्पण में विलम्ब

यूपीबीएम में प्रावधान है कि नियंत्रण अधिकारियों को सभी अंतिम बचतों को 25 मार्च तक वित्त विभाग को अभ्यर्पित कर देना चाहिए। तथापि, ₹ 1,48,547.50 करोड़ की कुल बचत में से वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन मात्र ₹ 1,477.51 करोड़ अभ्यर्पित किए गये एवं शेष ₹ 1,47,069.99 करोड़ व्यपगत हो गये।

संस्तुति

वित्त विभाग को विभागीय नियंत्रण अधिकारियों द्वारा व्यय की प्रवृत्ति की निगरानी करनी चाहिए, ताकि अंतिम समय के अभ्यर्पण और आवंटन के व्यपगत होने का सहारा लिए बिना, निधियों को अनावश्यक रूप से रखा नहीं जाय और शीघ्रातिशीघ्र अभ्यर्पित कर दिया जाय।

(प्रस्तर 3.3.8)

आकस्मिकता निधि

राज्य सरकार ने वर्षा ऋतु 2021 में वृक्षारोपण हेतु अग्रिम मृदा कार्य हेतु आकस्मिकता निधि से ₹ 100 करोड़ स्वीकृत (जनवरी 2021) किया। तथापि, राज्य सरकार ने वर्ष 2020-21 के दौरान आकस्मिकता निधि से लिए गए ₹ 100 करोड़ के अग्रिम की प्रतिपूर्ति नहीं की थी।

संस्तुति

राज्य सरकार को आकस्मिक निधि से लिए गए अग्रिमों की समय पर प्रतिपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए।

(प्रस्तर 3.4)

शासकीय प्राप्तियों को शासकीय लेखे से बाहर रखा जाना

श्रम उपकर के सापेक्ष संग्रहीत धनराशि शासकीय लेखे में लिये बिना सीधे उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण (यूपीबीओसीडब्ल्यू) बोर्ड के बैंक खातों में जमा की जा रही है। शासकीय लेखों के माध्यम से उपकर के लेखांकन के अभाव में, राज्य सरकार के लेखे से यह भी सुनिश्चित नहीं हो सका कि उपकर, शुल्क आदि के मद में कितनी धनराशि संग्रहीत की गयी एवं विभिन्न उपकर संग्राहकों द्वारा कितनी धनराशि बोर्ड को अन्तरित की गयी। बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराए गए अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, 31 मार्च 2021, को बोर्ड के पास ₹ 6,159.62 करोड़ धनराशि उपलब्ध थी एवं 2016-21 की अवधि के दौरान 5.55 से 66.66 प्रतिशत पंजीकृत श्रमिकों को आच्छादित करते हुए श्रमिकों के कल्याण हेतु उपलब्ध निधियों का 3.81 से 12.34 प्रतिशत व्यय किया गया।

संस्तुति

उ०प्र० भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड द्वारा श्रम उपकर के सापेक्ष संग्रहीत धनराशि राज्य के लोक लेखे का भाग होनी चाहिये एवं वहाँ से यह बोर्ड के खाते में अन्तरित की जा सकती है। उ.प्र. बीओसीडब्ल्यू बोर्ड को भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों के कार्य की दशाओं में सुधार करने एवं उन्हें पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के अपने अधिदेश को पूर्ण करना चाहिये।

(प्रस्तर 4.1.1)

राज्य सरकार ने विद्युत अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत अपेक्षित राज्य विद्युत विनियामक आयोग निधि का गठन नहीं किया। उत्तर प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग की ₹ 96.14 करोड़ की प्राप्तियाँ राज्य के लोक लेखे से बाहर रखी गयी।

संस्तुति

राज्य सरकार को राज्य विद्युत विनियामक आयोग निधि का गठन करना चाहिए और निधि के अवशेष को राज्य के लोक लेखे में जमा करना चाहिए।

(प्रस्तर 4.1.2)

राज्य के स्वामित्व वाले पीएसयू/प्राधिकरणों के माध्यम से गैर-बजट ऋण

राज्य सरकार ने राज्य के ऋण मापदंडों पर प्रभाव डालने वाले व्ययों की पूर्ति हेतु राज्य के स्वामित्व वाले पीएसयू/प्राधिकरणों के माध्यम से गैर-बजट ऋण का सहारा लिया। चूंकि ये गैर-बजट ऋण राज्य के ऋण-स्टॉक के भाग नहीं हैं, वित्त लेखे में दर्शायी गयी ऋण-स्टॉक की स्थिति वास्तविक ऋण भार को नहीं दर्शाती है। परिणामस्वरूप, ऋण स्टॉक ₹ 1,636.89 करोड़ बढ़ गया तथा वर्ष 2020-21 के दौरान संज्ञान में लिये गये ऋण स्टॉक ₹ 5,64,971.68 करोड़ के सापेक्ष यह ₹ 5,66,608.57 करोड़ हो गया।

संस्तुति

राज्य सरकार को गैर-बजट ऋण से बचना चाहिये एवं राज्य सरकार की ओर से पीएसयू/प्राधिकरणों द्वारा लिए गए परन्तु राज्य सरकार द्वारा सर्विस किये गये ऋणों को संचित निधि में जमा करना चाहिये।

(प्रस्तर 4.2)

परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना में अनुन्मोचित देनदारियां

राज्य सरकार ने वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य सरकार के कर्मचारियों के सम्बन्ध में परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के लिए ₹ 385.08 करोड़ की धनराशि नामित निधि प्रबंधक को इसके अग्रेतर निवेश के लिए प्रेषित नहीं किया। परिणामस्वरूप, अप्रेषित निधि से कोई मूल्य वृद्धि नहीं हुई क्योंकि यह अभिदाताओं के निवेश के कोष का अंश नहीं बन सकी। अग्रेतर, राज्य सरकार ने सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं स्वायत्त निकाय के कर्मचारियों के सम्बन्ध में अवशेष धनराशि की सूचना उपलब्ध नहीं करायी।

संस्तुति

राज्य सरकार को परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना की सम्पूर्ण धनराशि राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड (एनएसडीएल)/ट्रस्टी बैंक के माध्यम से नामित निधि प्रबंधक को हस्तांतरित करना चाहिये जिससे अहस्तांतरित धनराशि अभिदाताओं के निवेश के कोष का भाग बन सके और मूल्य वृद्धि प्राप्त कर सके।

(प्रस्तर 4.3)

उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि

राज्य सरकार ने यात्रियों या मृतक आश्रितों या अन्य अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों को राहत प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1997 द्वारा प्राधिकृत उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि (यूपीआरटीएआरएफ) का गठन नहीं किया। परिणामस्वरूप, 2015-21 की अवधि के दौरान ₹ 636.81 करोड़ की धनराशि यूपीआरटीएआरएफ में जमा नहीं की गयी।

संस्तुति

सांविधिक आवश्यकता होने के कारण, सरकार को 'उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि' की स्थापना करनी चाहिए जिससे प्रभावित व्यक्तियों के लाभ के लिए निधि का उपयोग किया जा सके।

(प्रस्तर 4.4)

उपभोग प्रमाण पत्रों (यूसी) के प्रेषण में विलम्ब

2001-02 से 2019-20 (सितम्बर 2019 तक) की अवधि के दौरान निर्गत सहायता अनुदानों हेतु 31 मार्च 2021 तक ₹ 26,237.08 करोड़ के कुल 39,587 यूसी बकाया थे। यूसी के अभाव में, इस बात का कोई आश्वासन नहीं है कि संवितरित धनराशि का उपभोग उन उद्देश्यों हेतु किया गया जिसके लिए उन्हें विधानमंडल द्वारा स्वीकृत/प्राधिकृत किया गया था। इसके अतिरिक्त, यूसी के बड़ी संख्या में लम्बित होने की स्थिति निधियों के गबन, अपयोजन एवं दुर्विनियोजन के जोखिम से भरी हुई थी।

संस्तुति

सरकार विशिष्ट प्रयोजनों के लिए निर्गत सहायता अनुदानों के सम्बन्ध में विभागों द्वारा उपभोग प्रमाण पत्र समय पर प्रेषित करना सुनिश्चित करे एवं बकायेदार अनुदान प्राप्तकर्ता को नया अनुदान निर्गत करने से पूर्व सभी बकाये की समीक्षा की जा सकती है।

(प्रस्तर 4.6)

संक्षिप्त आकस्मिक (एसी) बिल

एसी बिलों के आहरण के अगले माह के अंत तक समायोजन करने के कोडल प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए, 31 मार्च 2021 तक ₹ 16.21 करोड़ के अग्रिम वाले 1,178 एसी बिल समायोजन हेतु लंबित थे जिसमें वर्ष 2019-20 तक आहरित 1,155 एसी बिल सम्मिलित थे।

संस्तुति

वित्त विभाग को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी नियंत्रण अधिकारी निर्धारित समय के अन्दर संक्षिप्त आकस्मिक बिलों का समायोजन करें जैसा कि नियमों में वांछनीय है।

(प्रस्तर 4.7)

लघु शीर्ष 800 तथा मानक मद-42 का अविवेकपूर्ण उपयोग

वर्ष 2020-21 के दौरान, व्यय पक्ष में 78 लेखा शीर्षों के अंतर्गत ₹ 47,404.47 करोड़ की धनराशि एवं प्राप्त पक्ष में ₹ 6,105.30 करोड़ की धनराशि सम्बंधित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय/प्राप्तियों' में अभिलेखित की गयी। लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' के अंतर्गत बड़ी राशि का पुस्तांकन वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता को प्रभावित करता है। अग्रेतर, वर्ष 2020-21 के दौरान मानक मद '42-अन्य व्यय' के अंतर्गत ₹ 16,127.62 करोड़ का व्यय किया गया जो कि राज्य की संचित निधि के कुल व्यय ₹ 3,78,710.66 करोड़ का 4.26 प्रतिशत था। मानक मद '42-अन्य व्यय' के

अंतर्गत अत्यधिक धनराशि का वर्गीकरण वित्तीय रिपोर्टिंग का सम्पूर्ण चित्र प्रस्तुत नहीं करता है।

संस्तुति

वित्त विभाग को, महालेखाकार (ले. एवं हक.) के परामर्श से, वर्तमान में लघुशीर्ष 800 के अन्तर्गत प्रदर्शित होने वाले सभी मदों की व्यापक समीक्षा करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी सभी प्राप्तियाँ और व्यय भविष्य में समुचित लेखा शीर्षों के अन्तर्गत पुस्तांकित किए जाएं। अग्रेतर, मानक मद के स्तर पर, मानक मद 42-अन्य व्यय का अविवेकपूर्ण प्रयोग कम से कम किया जाना चाहिए।

(प्रस्तर 4.9 एवं 4.10)

स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों के लेखाओं का प्रस्तुत किया जाना

63 स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों के 266 वार्षिक लेखे (2020-21 तक बकाया) 30 सितम्बर 2021 तक सम्बन्धित संस्थाओं द्वारा लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। वार्षिक लेखे एवं उनकी लेखापरीक्षा के अभाव में, इन स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों को संवितरित अनुदानों और ऋणों के समुचित उपभोग को संप्रमाणित नहीं किया जा सकता है।

संस्तुति

वित्त विभाग को निकायों/प्राधिकरणों/विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों की वित्तीय स्थिति का आकलन करने के लिए उनके द्वारा वार्षिक लेखे के संकलन और प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में तीव्रता लाने हेतु नियमित समीक्षा को समाहित करती एक प्रणाली विकसित करने पर विचार करना चाहिए।

(प्रस्तर 4.14 एवं 4.15)

दुर्विनियोजन, हानि, चोरी आदि के लम्बित प्रकरण

₹ 930.78 करोड़ की धनराशि के दुर्विनियोजन, हानि और चोरी से सम्बन्धित 135 प्रकरण लम्बित थे जिन पर 31 मार्च 2021 तक अंतिम कार्यवाही लंबित थी।

संस्तुति

सरकार को दुर्विनियोजन, हानि, चोरी, आदि के मामलों में त्वरित कार्यवाही करने और ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति रोकने हेतु आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करने के लिए समयबद्ध ढांचा तैयार करने पर विचार करना चाहिए।

(प्रस्तर 4.16)

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप

31 मार्च 2021 को, उत्तर प्रदेश में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अधीन 44 अकार्यरत पीएसयू सहित 115 राज्य पीएसयू (94 सरकारी कम्पनियाँ, 15 सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ एवं छः सांविधिक निगम) थे। इस प्रतिवेदन में 38 ऐसे पीएसयू के वित्तीय निष्पादन सम्मिलित हैं जिनके लेखे तीन या अधिक वर्ष से बकाया नहीं थे एवं ये कार्यरत थे अथवा समापन के अधीन नहीं थे। इन 38 कार्यरत पीएसयू ने उनके नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार ₹ 73,042 करोड़ का टर्नओवर दर्ज किया। यह टर्नओवर उत्तर प्रदेश के वर्ष 2020-21 के जीएसडीपी के 4.28 प्रतिशत के बराबर था।

(प्रस्तर 5.1.3 एवं 5.1.4)

उत्तर प्रदेश सरकार की हिस्सेदारी एवं पीएसयू का निष्पादन

31 मार्च 2021 को, इस प्रतिवेदन में शामिल 38 पीएसयू में कुल निवेश (पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण) ₹ 2,72,542.84 करोड़ था। निवेश में 53.08 प्रतिशत पूँजी एवं 46.92 प्रतिशत दीर्घावधि ऋण सम्मिलित थे। इसमें से, उत्तर प्रदेश सरकार ने इन पीएसयू में ₹ 1,42,978.52 करोड़ का निवेश किया जिसमें ₹ 1,37,357.27 करोड़ की पूँजी एवं ₹ 5,621.25 करोड़ का दीर्घावधि ऋण सम्मिलित है।

38 पीएसयू में से, वर्ष 2020-21 तक उनके नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार 22 पीएसयू ने ₹ 699.72 करोड़ का लाभ अर्जित किया एवं 16 पीएसयू ने ₹ 7,411.34 करोड़ की हानि वहन की। उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लिमिटेड (₹ 351.89 करोड़) एवं उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (₹ 116.91 करोड़) मुख्य लाभ अर्जित करने वाले पीएसयू थे। उत्तर प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड (₹ 3,158.92 करोड़), पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 1,204.30 करोड़) एवं पश्चिमान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 1,067.87 करोड़) मुख्य हानि वहन करने वाले पीएसयू थे।

संस्तुति

राज्य सरकार को हानि वहन करने वाले पीएसयू के निष्पादन की समीक्षा करना चाहिए एवं इन पीएसयू में सावधानीपूर्वक निवेश करना चाहिए।

(प्रस्तर 5.2, 5.3.1 एवं 5.6.1)

उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखे से मिलान

31 मार्च 2021 को, 66 पीएसयू के पूँजी, ऋण एवं प्रत्याभूति में अन्तर विद्यमान था। आँकड़ों के मध्य यह अन्तर विगत कई वर्षों से बना हुआ है, यद्यपि लेखापरीक्षा द्वारा समय-समय पर सम्बन्धित पीएसयू एवं विभागों के साथ अन्तरों के मिलान का मामला उठाया भी गया।

संस्तुति

उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त विभाग एवं सम्बन्धित पीएसयू को पीएसयू के अभिलेखों के अनुसार एवं जीओयूपी के वित्त लेखे के अनुसार पूँजी, ऋण एवं बकाया प्रत्याभूति के आँकड़ों के मध्य अन्तर का समयबद्ध तरीके से मिलान करना चाहिए।

(प्रस्तर 5.2.2.1)

बकाया लेखे

71 कार्यरत पीएसयू में से, केवल चार पीएसयू ने वर्ष 2020-21 के लिए अपने वार्षिक लेखे को प्रस्तुत किया था और शेष 67 पीएसयू के 274 लेखे बकाया थे। 44 अकार्यरत पीएसयू में से, 40 पीएसयू के 699 लेखे बकाया थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने 46 राज्य पीएसयू को उस अवधि के दौरान जिसमें उनके लेखे बकाया थे, ₹ 27,359.34 करोड़ (पूँजी: ₹ 10,859.11 करोड़, ऋण: ₹ 2,476.54 करोड़, सहायता अनुदान: ₹ 4,086.35 करोड़ तथा सब्सिडी: ₹ 9,937.34 करोड़) प्रदान किए थे।

संस्तुति

प्रशासनिक विभागों को पीएसयू के लेखाओं के बकाया को समाप्त करने के लिए सख्ती से अनुश्रवण करना चाहिए एवं आवश्यक दिशानिर्देश निर्गत करना चाहिए। सरकार पीएसयू के लेखे तैयार करने में आने वाली बाधाओं को भी देख सकती है और बकाया को समाप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठा सकती है।

(प्रस्तर 6.3.2 एवं 6.3.2.3)